झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1191 वर्ष 2017

1. चरकी देवी उर्फ चरकी, पत्नी–स्वर्गीय तल्कु मांझी

2. सिमा देवी, पत्नी–स्वर्गीय सोना लाल मांझी, पुत्री–स्वर्गीय तल्कु मांझी

3. मुनी देवी, पत्नी–बिनोद कुमार, पुत्री–स्वर्गीय तल्कु मांझी

याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 निवासी–हसबेरा, डाकघर–गोसाई बलिआ, थाना–बरकागांव, जिला–हजारीबाग

4. मुनीश राम मांझी उर्फ मुनीश मांझी, पे0 स्वर्गीय मिही लाल मांझी

5. मन्जु हेम्ब्रम, पुत्री–मुनीश मांझी

6. गणेश मांझी, पे0 स्वर्गीय गुरू मांझी

7. प्रेमा कुमारी, पुत्री–गणेश मांझी

8. नितिन मांझी, पे0 गणेश मांझी

याचिकाकर्ता संख्या 4 से 8 निवासी–उरीमारी, डाकघर–गोसाई, बलिआ, थाना–बरकागांव, जिला–हजारीबाग .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. मुख्य प्रबंध निदेशक, रांची के माध्यम से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची

3. महाप्रबंधक (पी0 एंड आई0आर0), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची

4. महाप्रबंधक, बरका सियाल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, हजारीबाग

5. परियोजना अधिकारी, उरीमारी, परियोजना, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, हजारीबाग

6. कार्मिक प्रबंधक, उरीमारी परियोजना, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, हजारीबाग

.....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री दीन बंधु, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री ए0के0 दास, अधिवक्ता

सुश्री पूजा कुमार, अधिवक्ता

श्री अमृतांशु सिंह, अधिवक्ता

02/05ण्02.2018 वर्तमान रिट याचिका, प्रतिवादियों को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद ''सी0सी0एल0'' के रूप में संदर्भित) की पुनर्वास नीति के तहत याचिकाकर्ता संख्या 2, 3, 5, 7 और 8 पर विचार करने और रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि प्रतिवादी–सी0सी0एल0 के अधिकारियों ने 28.34 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों में से केवल तीन को रोजगार प्रदान किए हैं। हालांकि, प्रतिवादी–सी0सी0एल0 के अधिकारियों ने सी0सी0एल0 की पुनर्वास और पुनर्वास नीति के प्रावधानों की अनदेखी की, जो कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत दो एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक को एक–एक रोजगार देना विहित करता है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि शेष 19. 34 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बदले प्रत्यर्थियों द्वारा कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि इस भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले 1975 में किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के परिवार के पात्र सदस्यों को मौजूदा पुनर्वास और पुनर्वास नीति के अनुसार पहले ही रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् और रिट याचिका की विषयवस्तु को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचियों द्वारा उठाई गई शिकायत के लिए तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है जिसका इस न्यायालय की असाधारण रिट अधिकारिता में न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्यर्थी सं0 4–महाप्रबंधक, बरका सियाल, सेंट्रल कालफील्ड्स लिमिटेड, हजारीबाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर सकता है, जो कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

(राजेश शंकर, न्याया0)